LABOUR (PARTICIPATION IN MANAGEMENT) BILL*

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for participation of employees in the management of industrial or commercial undertakings in which they work and for other matters incidential thereto.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for participation of employees in the management of industrial or commercial undertakings in which they work and for other matters incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI SRINIBAS MISRA : Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 90, 92 etc.)

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI SRINIBAS MISRA : Sir, I introduce the Bill.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 6)

SHRI MANIBHAI J. PATEL (Damoh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, साधारण तौर पर किसी भी निजी सदस्य के विधेयक को पेश करने का जब सवाल आता है तो उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिये और यह जो सिद्धान्त है इसको हमेशा इस सदन ने माना है । यह जो विधेयक है यह सदस्यों के भत्ते और तनख्वाह के बारे में है । सैलेरी एंड एलाउंसिस आफ मैम्बर्ज आफ पार्लियामैंट के बारे में विधेयक है । यह एक छोटा सा बिल है । इस बिल के द्वारा यह मांग की गई है कि पहले दर्जे के डिब्बे में जगह नहीं मिलती है तो एयर कंडिशंड कोच में सदस्य को जगह दी जाए । इस सुझाव का मैं सख्त विरोध करना चाहता हूं ।

आज इस तरह की सुविधा जिन लोगों को हासिल है, चाहे वे मंत्री हों, अफसर हो या रेलवे फैड्रेशन के कर्मचारी हों, उसका भी मैं घोर विरोध करना चाहता हूं । इस तरह की सुविधा किसी को भी नहीं दी जानी चाहिये । अगर कोई एयर कंडिशंड कोच में जाना चाहता है तो पैसा दे कर जा सकता है

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : थर्ड क्लास में चलो ।

श्री मधु लिमये : इसको भी करिये । हमारे दल की तरफ से तो कई बार मांग की गई है कि बीस पच्चीस साल तक जब तक इस देश का निर्माण नहीं हो जाता है रेलों में, बसों में एक ही दर्जे की मुसाफिरी की इजाजत हो । इस बात को तो हमने बार बार कहा है । इस में मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन जब और सुविधायें अगर बढ़ाने की मांग आती है तो मैं उसका घोर विरोध करना चाहता हूं ।

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 26.4.68.

एक माननीय सदस्य : आप किस दर्जे में यात्रा करते हैं ।

श्री मधु लिमये : मेरे यहां आने के पहले आप लोगों ने जो सुविधा दे रखी है उससे मैं कोई ज्यादा सुविधा की मांग नहीं कर रहा हूं और न मैंने कभी की है । लेकिन मेरी यह मांग है कि इस तरह की एयर कंडिशंड कोच में प्रवास करने की इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिये, न अफसरों को होनी चाहये, न मंत्रियों को होनी चाहिये, न रेलवे फैडरेशन के जिन व्यक्तियों को एयर कंडिशंड कोचिज के पास दिये गए हैं, उनको होनी चाहिये । ऐसा करके उनको भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है और इस कारण से ट्रेड यूनियन आन्दोलन नहीं बढ़ता है (इंटरप्शंज)

मैंने तीसरे दर्जे की बात की है और तमाम लोगों के लिए बात की है...

SHRI SONAVANE (Pandharpur): Sir, are we discussing the merits of the Bill?

श्री मधु लिमये : मैं मैरिट्स में नहीं जा रहा हूँ । मैं इसका विरोध कर रहा हूँ । मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं । आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है ?

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : आप तो खुद फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं ।

श्री मधु लिमये : तो उसका मतलब है कि हवाई जहाज से भी मुफ्त जाओगे, एयर-कंडिशंड से भी मुफ्त जाओगे ?

श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा) : डिफेंस तो दे रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : उनका बिल क्या है यह आपको मालूम नहीं है । मैं मना नहीं कर रहा हूं । अगर आप डिफेंस दे कर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं या एयर कंडिशंड कोच से जाना चाहते हैं तो उसका कोई विरोध नहीं है । लेकिन मुफ्त में मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चाहे मन्त्री हो या अफसर हो या ट्रेड यूनियन का आफिशल हो या सदस्य हो, वह प्रवास करे । इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूं कि वह इसको वापिस ले लें ।

MR. CHAIRMAN: I will now put it to the vote of the House. The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

Those in favour may please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: 'Aye'.

MR. CHAIRMAN: Those against it may please say 'No'.

SOME HON. MEMBERS: 'No'.

MR. CHAIRMAN: I think 'Ayes' have it.

SOME HON. MEMBERS: No, Sir; 'Noes' have it.

MR. CHAIRMAN: Let us have division. Let the lobbies be cleared.

Now, the lobbies have been cleared. I put it to vote. The question is...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन में इस बात पर भ्रम है कि किस विधेयक पर चर्चा हो रही है ।

एक माननीय सदस्य : कोई भ्रम नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, एक विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी जा रही है और एक विधेयक श्री वारूपाल का है । मुझे ऐसा लगता है यह स्पष्ट किये बिना इस बारे में मतदान कराना कठिनाई पैदा कर सकता है ।

MR. CHAIRMAN: Let me remove the confusion if there is any. There are two Bills. This is by Shri Manibhai J.

[Mr. Chairman]

Patel concerning the air-conditioned travel facility. This is at the introduction stage There is another Bill by Shri Barupal which is coming for consideration later on. It is, perhaps, confusing for the Members to know as to which Bill is under consideration. Is the hon. Member prepared to withdraw the Bill ?

श्री मधु लिमये : मेरी विनती है कि वह वापस लें।

SHRI MANIBHAI J. PATEL : No, Sir.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

The motion was negatived

16.53 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL*

(Insertion of new section 86A)

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Represention of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

SHRI S. S. KOTHARI : I introduce the Bill.

16.53½ hrs.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(Amendment of sections 3, 6 etc)

By Shri P. L. Barupal

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय, लोक सभा के गत अधिवेशन में संसद् सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार मैं ने वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम प्रस्तुत किया था। उस के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों की अलग अलग रायें थीं। हम ने यह कोशिश की कि हम विरोधी दलों का सहयोग लें और उन के दृष्टि-कोण को ध्यान में रख कर हम सब मिल कर इस बिल को किसी तरीके से पास करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं उन से ज्यादा सोशलिस्ट हूं। इस विधेयक के सम्बन्ध में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित किया और हमारे कम्युनिस्ट भाई, जिन में श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री एच० एन० मुकर्जी,...

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : नाम क्यों लेते हैं ?

श्री प० ला बारूपाल : अच्छा, मैं नाम नहीं लेता हूं। सब पार्टियों के लोगों ने युनैनिमसली यह तय किया कि आवश्यक एमेंडमेंट्स दे कर इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाये। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि इन की दुरंगी चालें ठीक नहीं हैं।

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Who is having double standards ?

श्री प० ला० बारूपाल : मैं अंग्रेजी नहीं समझता। माननीय सदस्य हिन्दी में बोलें।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : On a point of clarification.

श्री प० ला० बारूपाल : मैं चाहता हूँ कि सब माननीय सदस्य मिल कर इस बिल को पास करें।

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 26.4.68.